भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या **323***

जिसका उत्तर शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023/20 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरक विनियमन हेतु विधान

323*. श्रीमती केशरी देवी पटेल:
डॉ. संघमित्रा मौर्य:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में उर्वरकों के मूल्य निर्धारण, उनकी आपूर्ति और उनके आयात तथा उच्च अधिकार प्राप्त उर्वरक निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विनियामक निकाय की स्थापना करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त उपायों से इंस्पेक्टर राज के लौटने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार का इस संबंध में कोई विधान लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या आगामी वर्षों में उर्वरक विनियमन तथा किसानों को कम कीमतों पर उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति के लिए उक्त विधान में कोई प्रावधान किए जाने की संभावना है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री
(डा. मनसुख मांडविया)

(क) से (च): जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

****